बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन प्रशाखा)

पत्रांक :- 2964/रा0
दि0 - 14/12/12

अधिसूचना

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा- राजपुर कला, थाना नं0 22 अंचल-सिमरी, जिला बक्सर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात आर्सेनिक मुक्त जलापूर्त्ति हेतु वाटर टावर के स्थापना हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है इसलिए एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा- राजपुर कला, थाना नं0 22 अंचल-सिमरी जिला बक्सर के अन्दर एक भूखण्ड अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वेश रकबा 0.125 एकड़ के बराबर होता है, जिसका अर्जनाधीन खेसरा निम्नांकित है:-

खेसरा संख्या - 33 अंश

चौहदी निम्नवत है:-

खेसरा संख्या (अर्जनाधीन खेसरा)	उत्तर (खेसरा संख्या)	दक्षिण (खेसरा संख्या)	पूरब (खेसरा संख्या)	पश्चिम (खेसरा संख्या)
33 अंश	32	रोड़	33 अंश	रोड़

यह अधिसूचना भू- अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा (4) के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध है। भूमि का नजरी नक्शा भू- अर्जन कार्यालय, बक्सर में देखा जा सकता हैं। बिहार सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी, और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना हेतु धारा 4 (1) के अनुसंधान में तत्समय लगे पदाधिकारी तथा कर्मचारी को प्राधिकृत करते है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा -2 में उपबंधित यथा निर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित है, अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करतें है। चूँकि बिहार के राज्यपाल की राय है कि उक्त 0.125 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि है और उसका शीघ्र अर्जन आवश्यक है।

अतः अधिनियम की धारा 17 की उप धारा- 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ए का उपबन्ध भूमि पर लागू नहीं होगा।

अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर। | जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर। | अपर समाहर्त्ता, बक्सर। | समाहर्त्ता बक्सर

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 2964/रा0 दिनांक 14/12/12।

प्रतिलिपिः- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, बिहार पटना को सी0डी0 सहित एवं तीन प्रारूप दो दैनिक समाचार पत्र जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाय।

प्रतिलिपिः- उप समाहर्त्ता प्रभारी, समान्य शाखा, समाहरणालय, बक्सर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित गजट की पॉच प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपिः- समाहर्त्ता, बक्सर / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/12

सरकार के अपर सचिव